क्रमांक 78-6 जी0 एस0-I-77/1118

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, हरियाणा के सभी उपायुक्त और उप मण्डल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, और हरियाणा के सभी जिला एवं सैशन न्यायाधीश ।

चण्डीगढ़, दिनांक 25 जनवरी, 1977

विषय :- विभागीय जांचों के सिलसिले में अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र देने में विलम्ब ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सरकार के परिपत्र क्रमांक 3874-6 जी0 एस0-I-76/17089, दिनांक 29-6-76 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायः विभागीय जांचों को पूर्ण करने में बहुत विलम्ब हो जाता है और कई केसों में संबंधित अधिकारियों।कर्मचारिोष की सेवानिवृत्ति के कई वर्ष पश्चात तक भी जांचें पूर्ण नहीं होती हैं । इससे एक तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को बहुत कठिनाई होती है, दूसरे मामले के अन्तिम निपटान में विलम्ब लोक हित में भी नहीं है ।

2. अतः आप से अनुरोध है कि भविष्य में विभागीय जांचों पूर्ण किया जाए ।

भवदीय,
हस्ता/-
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति -

वित्तायुक्त तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों को इस विभाग के आशा0 क्र0 3874-6जी0एस0 -I-76, दिनांक 29-6-76 के क्रम में सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित की जाती है ।